NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 19-02-2025

विषय सूची

दिल्ली में आया कम तीव्रता का भूकंप

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

भारत और कतर ने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया

कपड़ा उद्योग के लिए भारत टेक्स 2025

NAKSHA कार्यक्रम

भारतीय रिजर्व बैंक जमा बीमा कवर बढ़ाएगा

PM-AASHA योजना का 2025-26 तक विस्तार

संक्षिप्त समाचार

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

प्रतिचक्रवात प्रणाली

'दुर्लभतम या 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' सिद्धांत

भारत का प्रथम वर्टिकल बाइफेसियल सोलर प्लांट

मृदा स्वास्थ्य कार्ड का दशक

समुद्रयान परियोजना

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेलगार्ड AI सिस्टम

दिल्ली में आया कम तीव्रता का भूकंप

संदर्भ

- हाल ही में, दिल्ली-NCR में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी तीव्रता मध्यम होने के बावजूद भी तीव्र झटके महसूस किए गए।
  - नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने भूकंप के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स के बजाय **इन-सीटू मैटीरियल हेटेरोजेनिटी (अंतर्स्थाने सामग्री विषमता** का अर्थ है कि क्षेत्र में भूवैज्ञानिक विशेषताओं में भिन्नता)-प्राकृतिक भूवैज्ञानिक विविधताओं को जिम्मेदार ठहराया।

'इन-सीटू मैटेरियल हेटेरोजेनिटी' क्या है?

- विवर्तनिक प्लेट संचलन के कारण होने वाले भूकंपों के विपरीत, यह घटना पृथ्वी की भूपर्पटी के भौतिक गुणों में भिन्नता के कारण हुई। **चट्टान के प्रकार, द्रव की उपस्थिति और तनाव की सांद्रता** में अंतर स्थानीय भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न कर सकता है।

दिल्ली में भूकंप से संबंधित जोखिम

- भूकंपीय क्षेत्र IV (भारत में दूसरा सबसे ऊँचा) में स्थित है।
- भारतीय और यूरेशियन प्लेट अभिसरण क्षेत्र के निकट, जहाँ भ्रंश रेखाओं के साथ तनाव निर्मित होता है।
- **प्रमुख भ्रंश प्रणाली :**
  - दिल्ली-हरिद्वार कटक (भारतीय प्लेट का विस्तार)।
  - अरावली भ्रंश प्रणाली (गहरी भूगर्भीय संरचना)।

तीव्र भूकंप के कारण

- **उथली गहराई (5 किमी):** भूकंपीय तरंगों की यात्रा करने की दूरी कम थी, जिससे प्रभाव तीव्र हो गया।
- **दिल्ली के अन्दर भूकंप का केंद्र:** शहर के घने शहरी परिदृश्य और ऊँची इमारतों ने प्रभावों को बढ़ा दिया।
- **मुलायम जलोढ़ मिट्टी:** सिंधु-गंगा के मैदान की भूविज्ञान तरंगों के प्रसार को बढ़ाती है, जिससे झटके अधिक प्रबल महसूस होते हैं।

भूकंप के बारे में

- यह पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न धरातल का कंपन्न है, जब दो ब्लॉक एक भ्रंश के साथ एक दूसरे के निकट से खिसकते हैं।
- यह भूकंपीय तरंगों के रूप में संगृहित प्रत्यास्थ विकृति ऊर्जा या तनाव ऊर्जा को मुक्त करता है, जो धरातल में कंपन उत्पन्न करने का कारण बनता है।
- **उपरिकेंद्र (Epicentre)**: पृथ्वी की सतह पर सीधे उसके ऊपर का स्थान;
- **हाइपोसेंटर (Hypocenter)**: पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है;
- **भूकंप का मापन:**
  - **परिमाण:** रिक्टर स्केल;
  - **तीव्रता:** मर्केली स्केल;

भारत में भूकंप

- भारत विश्व के भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति भारतीय प्लेट के साथ है, जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है।
- भूकंप ने ऐतिहासिक रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र और अन्य भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण तबाही मचाई है।
- भूकंपों की बढ़ती संख्या को भ्रंश रेखाओं, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, और अल्मोड़ा भ्रंश की सक्रियता के कारण टेविवर्तनिक तनाव में बदलाव से जोड़ा जा सकता है।

भारत के भूकंप क्षेत्र और जोखिम वाले क्षेत्र

- भारत भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, भारत का 58.6% भूभाग मध्यम से बहुत उच्च तीव्रता वाले भूकंपों के लिए प्रवण है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा दिया गया भारत देश का राज्यवार 'भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र'।
  - लगभग 11% क्षेत्र जोन V में, लगभग 18% जोन IV में, लगभग 30% जोन III में और शेष जोन II में सम्मिलित है।

भारत में भूकंपीय क्षेत्र

- **जोन V (सबसे अधिक जोखिम):** पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात के कुछ हिस्से। ये भारत में सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो MSK-9 स्तर की तीव्रता या उससे अधिक के अनुरूप हैं।

- **जोन IV:** दिल्ली, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, जम्मू और कश्मीर।
  - इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ भूकंप के दौरान MSK-8-स्तर की तीव्रता का अनुभव होने की संभावना है।
- **जोन III:** मध्यम भूकंपीय गतिविधि वाले दक्षिणी और मध्य भारतीय राज्य।
- **जोन II:** सबसे कम जोखिम, जिसमें दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं।

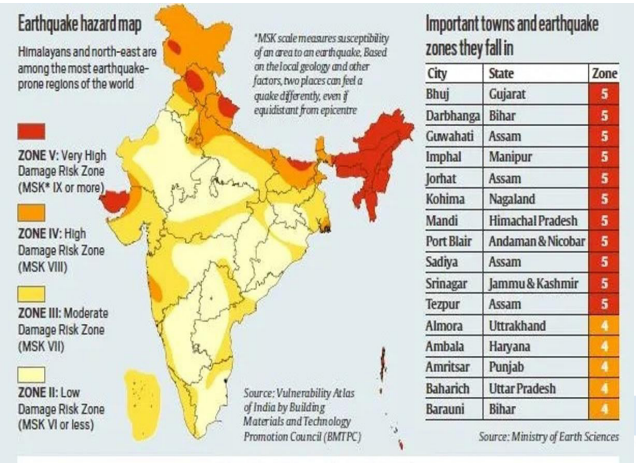

City	State	Zone
Bhuj	Gujarat	5
Darbhanga	Bihar	5
Guwahati	Assam	5
Imphal	Manipur	5
Jorhat	Assam	5
Kohima	Nagaland	5
Mandi	Himachal Pradesh	5
Port Blair	Andaman & Nicobar	5
Sadiya	Assam	5
Srinagar	Jammu & Kashmir	5
Tezpur	Assam	5
Almora	Uttrakhand	4
Ambala	Haryana	4
Amritsar	Punjab	4
Baharich	Uttar Pradesh	4
Barauni	Bihar	4

महत्त्वपूर्ण पहल

- **भूकंपीय निगरानी:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) सक्रिय रूप से भूकंपीय गतिविधि की निगरानी करता है और वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करता है।
- **NDMA दिशा-निर्देश:** NDMA ने भूकंप की तैयारियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और संरचनात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- **स्मार्ट शहर और लोचशील बुनियादी ढाँचा:** सरकारी नीतियाँ अब भूकंप-रोधी इमारतों पर बल देती हैं, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।

Source: IE

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के अंतर्गत ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया।

परिचय

- यह 2023 अधिनियम चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का लेन-देन) अधिनियम, 1991 का स्थान ग्रहण करता है, जो भारत के चुनाव आयोग (ECI) की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव पेश करता है।
- CEC के नाम की सिफारिश तीन सदस्यीय समिति ने की थी जिसमें शामिल थे:
  - भारत के प्रधान मंत्री (अध्यक्ष),
  - केंद्रीय गृह मंत्री (PM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री)।
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता।

पृष्ठभूमि

- 2023 में, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाँच करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि उनकी नियुक्ति केवल कार्यपालिका द्वारा नहीं की जानी चाहिए।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिए।
- चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: **प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश।**

संविधान का अनुच्छेद 324

- संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा तय की गई संख्या में चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होंगे।
- भारत का चुनाव आयोग (ECI) मतदाता सूची तैयार करने और संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
- संविधान में निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन CEC और EC की नियुक्ति करेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

- **चुनाव आयोग:** चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होंगे। राष्ट्रपति समय-समय पर EC की संख्या तय करेंगे।
- **आयोग की नियुक्ति:** आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता) शामिल होंगे।
  - कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को पाँच नाम सुझाएगी। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए लोगों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर विचार कर सकती है।
- **कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति:** चुनाव आयोग के सदस्य छह वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
  - आयोग के सदस्यों को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी EC को CEC के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कार्यकाल की कुल अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।
- **वेतन और पेंशन:** CEC और EC का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी।
- **पद मुक्त करना:** CEC को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित किया जाता है।
  - EC को केवल CEC की सिफारिश पर ही निष्कासित किया जा सकता है।

चिंताएँ

- **नियुक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण:** चयन समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं, जिससे न्यायिक निगरानी कम हो गई है। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए पाँच लोगों के पैनल में से नामों का चयन करती है।
  - चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों से आगे भी जा सकती है।
- **चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:** सरकार द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रिया से चुनाव प्रबंधन में पक्षपात हो सकता है, जो अंततः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में विश्वास को समाप्त कर देता है।
- **चुनाव आयुक्तों के लिए कमज़ोर सुरक्षा:** मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों के पास ऐसे सुरक्षा उपाय नहीं हैं। इससे चुनाव आयुक्तों पर राजनीतिक दबाव पड़ सकता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

चयन समिति की संरचना के लिए विभिन्न आयोगों/न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव

Body	Members
Goswami Committee (1990)	For CEC: Appointed by the President in consultation with the Chief Justice + Leader of Opposition of Lok Sabha (or leader of the largest party in Lok Sabha). For EC: Appointed by the President in consultation with the Chief Justice + Leader of Opposition of Lok Sabha (or leader of the largest party in Lok Sabha) + CEC.
The Constitution (Seventieth Amendment) Bill 1990*	Chairman of Rajya Sabha + Speaker of Lok Sabha + Leader of the Opposition (or the leader of the largest party) in Lok Sabha. The CEC was further made a part of the consultative process in the appointment of the Election Commissioners.
National Commission to Review the Working of the Constitution Report (2002)	Prime Minister + Leader of the Opposition in Lok Sabha + the Leader of the Opposition in Rajya Sabha + the Speaker of Lok Sabha + the Deputy Chairman of Rajya Sabha.
Law Commission (2015)	Prime Minister + the Leader of Opposition of Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party in Lok Sabha) + the Chief Justice.
Supreme Court (2023)	Prime Minister + Leader of Opposition in Lok Sabha (or leader of single largest opposition party in Lok Sabha) + Chief Justice.

निष्कर्ष

- CEC और EC नियुक्ति अधिनियम 2023 ECI के लिए चयन प्रक्रिया में सुधार प्रदर्शित करता है, लेकिन यह CEC और EC की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका के हाथों में सौंपे जाने की संभावना के बारे में भी चिंता व्यक्त करता है।
- चुनावी प्रक्रियाओं के निष्पादन में निष्पक्षता और अखंडता की गारंटी के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सर्वोपरि है।

Source: TH

भारत और कतर ने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया

संदर्भ

- भारत और कतर ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - दोनों देशों ने 2023 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया।

प्रमुख परिणाम

- दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को समाप्त करने के विकल्प की खोज कर रहे हैं।
- दोनों पक्षों ने दोहरे कराधान से बचाव संधि पर भी हस्ताक्षर किए और पाँच वर्षों के अन्दर अपने व्यापार को दोगुना करके 28 बिलियन डॉलर करने की योजना बनाई।
- दोनों पक्षों ने गाजा पट्टी में इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष पर चर्चा की।
- भारत की वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद के चार अन्य सदस्यों - संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, ओमान और कुवैत के साथ रणनीतिक साझेदारी है।
- **यात्रा का महत्त्व:**
  - **अरब राज्य शिखर सम्मेलन:** कतर के अमीर की यात्रा ने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यह रियाद में पाँच अरब राज्यों के शिखर सम्मेलन से ठीक दो दिन पहले हो रही है।
    - शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
  - **गाजा संकट पर अमेरिकी प्रस्ताव:** राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रस्ताव दिया है कि क्षेत्र के फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
    - भारत इजरायल-फिलिस्तीनी संकट को समाप्त करने के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है और हाल ही में घोषित युद्धविराम का स्वागत किया है।

खाड़ी क्षेत्र

- खाड़ी क्षेत्र सामान्यतः मध्य पूर्व में फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को संदर्भित करता है।
- इसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश शामिल हैं।
- यह क्षेत्र अपने विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

भारत-कतर संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 10.91 मिलियन मीट्रिक टन LNG और 4.92 मिलियन मीट्रिक टन LPG की आपूर्ति करेगा।
  - वर्तमान वार्षिक व्यापार $14.08 बिलियन का है।

- **रक्षा:** भारत द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (DIMDEX) में भाग लेता है।
  - अभ्यास ज़ैर-अल-बहर भारतीय नौसेना और कतर एमिरी नौसेना बल (QENF) के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है।
  - भारत-कतर रक्षा सहयोग समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2018 में इसे पाँच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
  - समझौते का प्रबंधन संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से किया जाता है।
- **श्रम और प्रवासी:** कतर में भारत का एक बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी संख्या 700,000 से अधिक है।
  - कतर में रहने वाले भारतीय प्रवासी देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर निर्माण और अन्य क्षेत्रों में।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
  - इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। भारत नियमित रूप से GCC के साथ जुड़ता है और GCC के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का लक्ष्य रखता है।

चुनौतियाँ/चिंताएँ

- हमास-इज़राइल संघर्ष और लाल सागर में शिपिंग हमले भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।
- भारत मध्य पूर्वी राजनीति में सतर्क रहता है, खाड़ी, ईरान और इज़राइल के साथ संबंधों को संतुलित करता है।
- यदि संघर्ष बढ़ता है, तो यह संतुलन कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं में विलंब:** संघर्ष ने 2023 से I2U2 समूह के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में विलंब की है।
  - भारत ने संघर्ष के बावजूद I2U2 और IMEC जैसी आर्थिक पहलों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
- **GCC के साथ FTA:** GCC के व्यापार वार्ताकार में बदलाव के कारण भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने में देरी।
  - सभी GCC राज्यों को संतुष्ट करने वाले समझौते पर पहुँचना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के कारण भारत के लिए खाड़ी देशों का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बनना ज़रूरी हो गया है।
- भारत का लक्ष्य अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करना है।
- राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों में मज़बूत सामंजस्य भारत-खाड़ी संबंधों के लिए एक नया ढाँचा तैयार कर रहा है।
- अगर इसे बनाए रखा जाता है, तो यह ढाँचा विश्वास को बढ़ाएगा और अधिक महत्वाकांक्षी सहयोग को सक्षम करेगा।

Source: TH

कपड़ा उद्योग के लिए भारत टेक्स 2025

संदर्भ

- भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन, भारत टेक्स 2025, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें देश के वस्त्र नवाचारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसरों पर प्रकाश डाला गया।

परिचय

- भारत टेक्स 2025 ने सरकार के "खेत से फाइबर, फैब्रिक, फैशन और विदेशी बाजार" के विजन को गति देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।
- इस कार्यक्रम में 5,000 से अधिक प्रदर्शकों और 1,20,000 से अधिक व्यापार आगंतुकों ने भाग लिया, जिनमें वैश्विक CEOs, नीति निर्माता और उद्योग के नेता शामिल थे।

भारत का वस्त्र उद्योग

- भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो 2023-24 में देश के कुल निर्यात में 8.21% का योगदान देगा।
- वैश्विक व्यापार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 4.5% है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात का 47% हिस्सा है।

- यह उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

सहायक नीति ढाँचा

- **प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) पार्क योजना:** 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के अपेक्षित निवेश के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा, प्लग एंड प्ले सुविधाएँ और एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र होगा।
- मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत प्रोत्साहन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- **समर्थ:** यह योजना क्षमता निर्माण, कपड़ा मूल्य शृंखला में कौशल अंतराल को संबोधित करने के लिए एक माँग-संचालित और प्लेसमेंट-उन्मुख कार्यक्रम है।
- **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP):** हथकरघा बुनकरों के लिए वित्तीय और बाजार समर्थन।
- **कच्चा माल समर्थन:** गुणवत्ता और उपज में सुधार के लिए कपास, जूट, रेशम और ऊन को बढ़ावा देना।

भारत के वस्त्र उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

- **कच्चे माल की उच्च लागत:** कपास, जूट और सिंथेटिक फाइबर की कीमतों में उतार-चढ़ाव।
- **पुरानी तकनीक:** स्वचालन और आधुनिक मशीनरी को कम अपनाया जाना।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** चीन, वियतनाम और बांग्लादेश से कठोर प्रतिस्पर्धा।
- **पर्यावरण नियम:** स्थिरता मानदंडों और प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** उद्योग की माँगों को पूरा करने के लिए कार्यबल को अपस्किलिंग की आवश्यकता है।
- **आपूर्ति शृंखला के मुद्दे:** रसद अक्षमताएँ और निर्यात-आयात बाधाएँ।
- **सीमित बाजार पहुँच:** व्यापार बाधाएँ, उच्च टैरिफ और FTA सीमाएँ।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** स्वचालन और आधुनिक मशीनरी में निवेश करना।
- **स्थायी अभ्यास:** पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **कौशल विकास:** समर्थ और अन्य पहलों के माध्यम से कार्यबल प्रशिक्षण को मजबूत करना।
- **वैश्विक बाजार विस्तार:** FTAs का लाभ उठाएँ और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार करना।
- **कच्चे माल की सुरक्षा:** कपास, जूट, रेशम और ऊन के उत्पादन को बढ़ाना।

Source: PIB

NAKSHA कार्यक्रम

समाचार में

- केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन में NAKSHA कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

- भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व प्रबंधन का आधुनिकीकरण हो रहा है, जिससे जटिल कागजी कार्रवाई और स्वामित्व विवाद जैसी चुनौतियों का समाधान हो रहा है।
- **स्थिति:** 2016 से अब तक लगभग 95% ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है, जिससे पारदर्शिता और पहुँच में सुधार हुआ है।

डिजिटलीकरण के लाभ

- यह पारदर्शिता को बढ़ाता है और अवैध अतिक्रमणों को कम करता है।
- यह विवाद समाधान को सरल बनाता है और न्यायालयी भार को कम करता है।

- यह भूमि अधिकारों तक पहुँच में सुधार करके हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाता है।
- भू-स्थानिक मानचित्रण एकीकरण सटीक सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन में सहायता करता है।

चुनौतियाँ

- देश भर में भूमि रिकॉर्ड पुराने और गायब होने के कारण भूमि सुधारों को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में जहां सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि और सीमित भूमि रिकॉर्ड हैं।
- कई भूकर मानचित्र पुराने हो चुके हैं और कुछ गायब हैं, जिससे भूमि स्वामित्व में विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

पहल

- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** अप्रैल 2016 में प्रारंभ किए गए DILRMP का उद्देश्य वास्तविक समय की भूमि जानकारी के साथ एक आधुनिक, पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रणाली बनाना है।
- केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, इसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना, धोखाधड़ी को रोकना और भूमि उपयोग को अनुकूलित करना है।
- **नक्शा कार्यक्रम:** इसकी लागत ₹194 करोड़ होने की संभावना है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
  - यह कार्यक्रम 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कवर करता है।
  - सर्वे ऑफ इंडिया तकनीकी भागीदार है, जो वायुई सर्वेक्षण और ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी के लिए जिम्मेदार है।
  - मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (MPSEDC) एंड-टू-एंड वेब-GIS प्लेटफ़ॉर्म विकसित करता है।
  - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक. (NICSI) भंडारण सुविधाएँ प्रदान करता है।
  - **उद्देश्य:** भूमि स्वामित्व के सटीक और विश्वसनीय दस्तावेज़ीकरण के लिए शहरी भूमि अभिलेखों को बनाना और अद्यतन करना।
- **स्वामित्व योजना:** पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) केंद्रीय क्षेत्र योजना स्वामित्व को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य गाँवों में बसे हुए क्षेत्रों में घर रखने वाले ग्रामीण परिवार के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- सरकार की यह पहल पारदर्शिता और पहुँच को बढ़ाकर भूमि प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, विशेष तौर पर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए।
- संगठित, कुशल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की ओर यह बदलाव एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज में योगदान देता है, जिससे आर्थिक विकास एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

Source :TH

भारतीय रिजर्व बैंक जमा बीमा कवर बढ़ाएगा

संदर्भ

- सरकार बैंक जमाओं के लिए बीमा कवर की वर्तमान सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार कर रही है।

परिचय

- भारत में जमा बीमा की शुरुआत 1962 में हुई थी और अब तक इसका कवरेज छह गुना बढ़ा दिया गया है - प्रति जमाकर्त्ता 1,500 रुपये से अब 5 लाख रुपये तक।
- जमा बीमा योजना 1962 में 287 बैंकों के साथ प्रारंभ की गई थी; 31 मार्च, 2024 तक बीमित बैंकों की संख्या 1,997 थी।

जमा बीमा कवर क्या है?

- डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक सहायक कंपनी है।
- यह भारतीय बैंकों में रखी गई जमाराशियों का बीमा करता है, जिससे बैंक के विफल होने की स्थिति में सुरक्षा मिलती है।
- **कवर:** DICGC वर्तमान में प्रति बैंक, प्रति जमाकर्त्ता ₹5 लाख तक का बीमा कवरेज प्रदान करता है।

- इसमें सभी प्रकार के खातों, जैसे बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमाराशियों में मूलधन एवं ब्याज दोनों की कुल राशि शामिल है।
- DICGC विभिन्न प्रकार के बैंकों में जमाराशियों को कवर करता है, जिनमें शामिल हैं: वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक), सहकारी बैंक (केंद्रीय, राज्य और शहरी सहकारी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)।

- **यह कैसे काम करता है:**
  - **पंजीकरण:** जमा बीमा प्रदान करने के लिए बैंकों को DICGC के साथ पंजीकरण करना होगा।
  - **प्रीमियम भुगतान:** बैंक DICGC को एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जिसे जमाकर्त्ताओं को नहीं दिया जाता है।
  - **दावा प्रक्रिया:** यदि कोई बैंक विफल हो जाता है, तो DICGC परिसमापक द्वारा प्रस्तुत दावों की पुष्टि करने के बाद जमाकर्त्ताओं को ₹5 लाख तक की प्रतिपूर्ति करता है।
- **सीमाएँ:**
  - **कवरेज सीमा:** बड़ी जमा राशि वाले व्यक्तियों या व्यवसायों के लिए ₹5 लाख की सीमा पर्याप्त नहीं हो सकती है।
  - **अपवर्जन:** सरकारी और अंतर-बैंक जमा DICGC के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते हैं।
- **दावा प्रसंस्करण समय:** हालाँकि जमाराशियाँ बीमाकृत होती हैं, लेकिन भुगतान में समय लग सकता है क्योंकि दावों को बैंक के परिसमापक के माध्यम से संभाला जाता है।

जमाकर्त्ताओं के लिए DICGC का महत्त्व:

- **बैंक विफलताओं के विरुद्ध सुरक्षा:** बैंक के दिवालिया हो जाने पर भी 5 लाख रुपये तक की जमाराशियाँ सुरक्षित रहती हैं।
- **बचत को प्रोत्साहित करना:** बीमा सुरक्षा के साथ, जमाकर्त्ता बैंकों में अपना पैसा बचाने में अधिक आश्वस्त होते हैं।
- **व्यापक कवरेज:** DICGC अधिकांश प्रकार के बैंकों को कवर करता है, तथा व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।

आगे की राह

- हाल ही में बैंक संकटों, जैसे कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के सामने आई समस्याओं के मद्देनजर, बीमा सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव चल रहा है।
- यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो बीमा सीमा में वृद्धि जमाकर्त्ताओं, विशेष रूप से बैंकों में अधिक जमा करने वालों को अधिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
- इससे अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा।

Source: IE

PM-AASHA योजना का 2025-26 तक विस्तार

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

PM-AASHA योजना

- यह योजना 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी, विशेष रूप से दालों, तिलहन और खोपरा के लिए।
- इसका उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और कृषि क्षेत्र में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

PM-AASHA के घटक

- **मूल्य समर्थन योजना (PSS):** सरकार MSP पर दलहन, तिलहन और खोपरा खरीदती है।
- केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ (CNAs) राज्य एजेंसियों के सहयोग से खरीद करती हैं।
- केवल उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) मानकों को पूरा करने वाली उपज ही खरीदी जाती है।
- **मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS):** यह MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर के लिए पूर्व-पंजीकृत किसानों को मुआवजा भुगतान का निर्देश देती है।
  - उत्पाद की कोई भौतिक खरीद नहीं होती है।

- यह तिलहन पर लागू होती है और इसके लिए अधिसूचित मंडियों में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से लेनदेन की आवश्यकता होती है।

- **निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) (पायलट आधार पर):** यह राज्यों को तिलहन खरीद के लिए निजी स्टॉकिस्टों को शामिल करने की अनुमति देती है।
  - इसे चयनित कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) या जिलों में लागू किया जाता है।

योजना में प्रमुख परिवर्तन

- 2024 में सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजनाओं को पीएम आशा में एकीकृत किया।
- यह दालों और प्याज के रणनीतिक बफर स्टॉक को संतुलित रिलीज के लिए बनाए रखकर, जमाखोरी, बेईमान सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आपूर्ति के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।
- बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) को पीएम-आशा की एकीकृत योजना का एक घटक बनाया गया था।
- यह योजना प्याज, आलू और टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली कृषि एवं बागवानी वस्तुओं के लिए है।
- इसे तब लागू किया जाता है जब कीमतें पिछले सामान्य मौसम से कम से कम 10% कम हो जाती हैं।

योजना का महत्त्व

- किसानों को मूल्य समर्थन सुनिश्चित करता है, जिससे संकटपूर्ण बिक्री कम होती है।
- बाजार आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से खरीद दक्षता को बढ़ाता है।
- पारदर्शी विपणन प्रणालियों में किसानों की भागीदारी बढ़ाता है।
- अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव को रोकता है, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की सुरक्षा होती है।

चिंताएँ

- **सीमित क्रियान्वयन:** PDPS और PPSS को राज्यों द्वारा कम अपनाया गया है।
- **खरीद संबंधी बाधाएँ:** सभी फसलों और क्षेत्रों में MSP कवरेज एक समान नहीं है।
- **जागरूकता और पहुँच संबंधी समस्याएँ:** कई किसानों में जागरूकता की कमी है या पंजीकरण में नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **बजट संबंधी चिंताएँ:** खरीद कार्यों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष

- PM-AASHA का 2025-26 तक विस्तार किसानों की आय सुरक्षा और कृषि बाजार सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने और चुनौतियों का समाधान करने से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में इसका प्रभाव बढ़ सकता है।

Source: AIR

संक्षिप्त समाचार

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

- स्वामी रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी, 1836 को बंगाल के कामारपुकुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनका धार्मिक मूल्य बहुत मजबूत था।
- उनकी गहरी आध्यात्मिकता ने उन्हें विभिन्न धार्मिक मार्गों की खोज करने के लिए प्रेरित किया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि सभी धर्म एक ही दिव्य सत्य की ओर ले जाते हैं।
- उनका जीवन ईश्वर के निरंतर चिंतन के आस पास केंद्रित था।

- उनकी ईश्वर-चेतना समय और स्थान से परे है, जो सभी धर्मों के साधकों को सार्वभौमिक रूप से आकर्षित करती है।

उल्लेखनीय शिष्य

- उनके असंख्य शिष्यों में सबसे प्रमुख थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण के दर्शन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और समाज की सेवा में संस्था को समर्पित कर दिया।

शिक्षा और संदेश

- श्री रामकृष्ण के जीवन ने आधुनिक आध्यात्मिक विचारों और धाराओं को प्रभावित किया।
- उन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर-प्राप्ति उम्र, देश या लोगों तक सीमित नहीं है।
- उनकी शिक्षाओं ने प्रदर्शित किया कि ईश्वर भौतिकवाद और संदेवायुद से परे मौजूद है, जिससे धर्म में विश्वास पुनर्स्थापित हुआ।
- उनकी शिक्षाओं एवं आध्यात्मिक उपस्थिति ने व्यक्तियों को ऊपर उठाया, पापियों को संतों में बदल दिया और सभी को शुद्ध किया।

प्रासंगिकता आज

- रामकृष्ण का सबसे बड़ा योगदान धर्मों के बीच सामंजस्य का संदेश है।
- उनका संदेश आज के विश्व के लिए आशा की किरण है, जो धार्मिक असहिष्णुता और वैश्विक संकटों से खतरे में है।
- उनकी शिक्षाएँ धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती हैं, तथा विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती हैं।

Source :TH

प्रतिचक्रवात प्रणाली

संदर्भ

- मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि मुंबई में तापमान में असामान्य वृद्धि पश्चिमी तट पर एक प्रतिचक्रवाती प्रणाली की उपस्थिति के कारण हुई।

परिचय

- प्रतिचक्रवात एक उच्च दबाव वाली मौसम प्रणाली है, जहाँ सतह पर वायुदाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है।

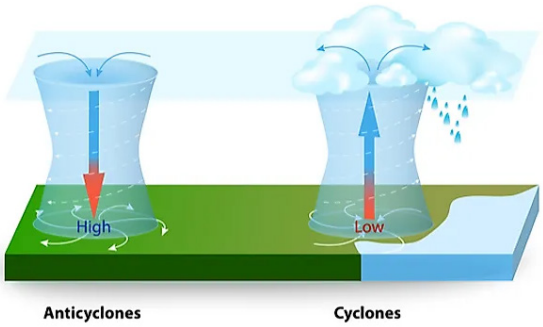

- **प्रतिचक्रवाती प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **केंद्र में उच्च दबाव:** सिस्टम के केंद्र में वायु का दबाव इसके आस-पास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है।
  - **वायु की गति**: वायु एक प्रतिचक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है।
  - **अवतलित होती वायु:** एक प्रतिचक्रवात के भीतर की वायु ऊपर उठने के बजाय नीचे अवतलित होती है, जिससे बादल का निर्माण रुक जाता है और प्रायः शुष्क और साफ स्थितियाँ बनती हैं।
- **प्रभाव:** प्रतिचक्रवात स्थानीय मौसम पैटर्न को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कभी-कभी लम्बे समय तक सूखा या हीट वेव उत्पन्न हो सकती हैं।

Source: IE

'दुर्लभतम या 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' सिद्धांत

संदर्भ

- हाल ही में दो अलग-अलग हत्या के मामलों में दोषसिद्धि ने न्यायपालिका के **'रेयरेस्ट** ऑफ **रेयर'** सिद्धांत के प्रति दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न फिर से उत्पन्न कर दिया हैं।

परिचय

- **1972 - जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य:** उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा।

- **1980 - बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य:** न्यायालय ने 'दुर्लभतम या 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' सिद्धांत पेश किया, जिसमें कहा गया कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही आरोपित किया जाना चाहिए।
- 'दुर्लभतम या 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की परिभाषा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **1983 - मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य:** उच्चतम न्यायालय ने 'दुर्लभतम या 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' सिद्धांत को स्पष्ट किया और अपराधों की पाँच श्रेणियों की पहचान की, जहाँ मृत्युदंड को उचित ठहराया जा सकता है:
  - **हत्या करने का तरीका:** अत्यंत क्रूर और नृशंस हत्याएँ।
  - **हत्या का मकसद:** पूर्णतयः अनैतिकता प्रदर्शित करने वाले उद्देश्य से की गई हत्या।
  - **अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति:** जब कोई हत्या अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाती है और सामाजिक आक्रोश उत्पन्न करती है।
  - अपराध की गंभीरता।
  - **अपराधी का व्यक्तित्व:** जब पीड़ित विशेष रूप से कमज़ोर होता है, जैसे कि बच्चा, महिला या बुजुर्ग व्यक्ति।

निष्कर्ष

- भारत में मृत्युदंड का प्रयोग जटिल और विवादास्पद बना हुआ है।
- यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने एक निश्चित रूपरेखा दी है, फिर भी 'दुर्लभतम या 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' के रूप में क्या योग्य है, इसकी अस्पष्ट, सार्वभौमिक रूप से सहमत परिभाषा न्यायिक विवेक के लिए जगह छोड़ती रहती है।

Source: TH

भारत का प्रथम वर्टिकल बाइफेसियल सोलर प्लांट

संदर्भ

- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के प्रथम वर्टिकल बाई-फेसियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया।

परिचय

- इसका उद्घाटन यहाँ ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स - द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया।
- इसका आयोजन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) के सहयोग से i-Metro के बैनर के नीचे किया गया था।
- द्विपक्षीय पैनल दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी को कैप्चर कर सकते हैं।
  - यह बिना किसी अतिरिक्त भूमि पर आधिपत्य किए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए मेट्रो की ऊँची संरचना का लाभ उठाएगा।
- **महत्त्व:** थर्मल से नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण, सौर छतों का उपयोग, और मेट्रो में पुनर्योजी ब्रेकिंग को लागू करना एक हरित भविष्य की ओर बदलाव का उदाहरण है।
  - नवाचार मेट्रो रेल संचालन को अधिक टिकाऊ बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करने में सहायता कर सकता है।

Source: IE

मृदा स्वास्थ्य कार्ड का दशक

संदर्भ

- राजस्थान में 19 फरवरी, 2015 को प्रारंभ की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को एक दशक पूरा हो गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- **उद्देश्य:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्त्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें भी करता है।
- यह योजना राज्य सरकारों को देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में सहायता करती है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मृदा स्वास्थ्य निर्धारित करने वाले 12 मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति होती है:

- **मैक्रो-पोषक तत्त्व:** नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K), सल्फर (S)।
- **सूक्ष्म पोषक तत्त्व:** जिंक (Zn), आयरन (Fe), कॉपर (Cu), मैंगनीज (Mn), बोरॉन (Bo)।
- **अन्य संकेतक:** pH स्तर (मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता), विद्युत चालकता (मिट्टी में लवण की उपस्थिति को दर्शाता है), आर्गेनिक कार्बन (OC)।

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 से 'मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता' नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) योजना में इसके एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है।

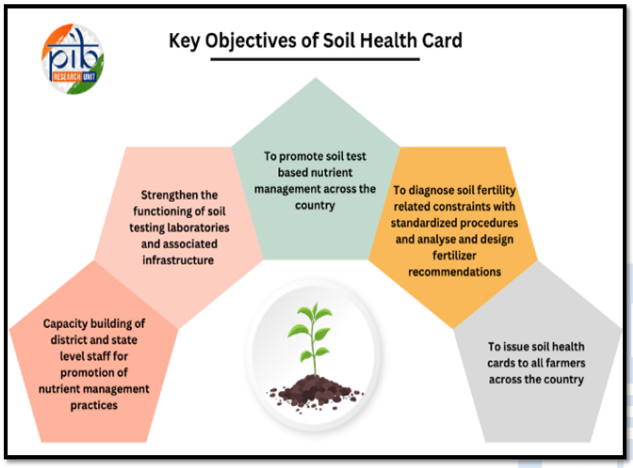

Source: PIB

समुद्रयान परियोजना

समाचार में

- समुद्रयान परियोजना के अंतर्गत मत्स्य-6000 का वेट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया।

समुद्रयान परियोजना के बारे में

- समुद्रयान डीप ओशन मिशन के अंतर्गत एक परियोजना है।
- इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सेट के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्व-चालित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है।
- मत्स्य-6000 समुद्रयान परियोजना के अंतर्गत डिज़ाइन की गई चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है।
- इसके 2.1 मीटर व्यास वाले गोलाकार पतवार के अंदर तीन लोग बैठ सकते हैं और यह भारत की समुद्री अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

डीप ओशन मिशन

- इसे 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
- यह हिंद महासागर के गहरे समुद्र में सजीव और निर्जीव संसाधनों की बेहतर समझ के लिए एक उच्च-स्तरीय बहु-मंत्रालयी, बहु-विषयक कार्यक्रम है और यह ब्लू इकोनॉमी का दर्जा प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में सहायता करेगा।

Source :TH

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेलगार्ड AI सिस्टम

समाचार में

- सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व शिकारियों का पता लगाने के लिए ट्रेलगार्ड AI प्रणाली के हिस्से के रूप में 100-150 AI-सक्षम कैमरों का उपयोग कर रहा है।

ट्रेलगार्ड AI सिस्टम

- ट्रेलगार्ड AI की परिकल्पना और निर्माण गुड़गांव में सामाजिक प्रभाव उद्यम नाइटजर टेक्नोलॉजीज द्वारा किया गया था, जो संरक्षण सेटिंग्स के लिए दूरस्थ निगरानी उपकरण विकसित करता है।
- **विशेषताएँ:** इसके कैमरे कॉम्पैक्ट हैं और इनमें लंबे समय तक चलने वाली बैटरी (6 महीने से 1 वर्ष) है।
- यह वास्तविक समय के अपडेट, खुफिया जानकारी जुटाने और छापे के साथ सक्रिय कानून प्रवर्तन में सहायता करता है।
- यह प्रणाली मनुष्यों, जानवरों और वाहनों की पहचान करती है और शिकारियों का पता चलने पर अलर्ट भेजती है।
- **महत्त्व:** ट्रेलगार्ड AI का उपयोग कान्हा टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क सहित अन्य रिजर्व में किया जा रहा है।
  - इस प्रणाली में पूरे भारत में वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रयासों में एक गेम-चेंजर बनने की क्षमता है।

क्या आप जानते हैं ?

- सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के सबसे उत्तरी भाग में मयूरभंज जिले में स्थित है। यह क्षेत्र ज़्यादातर ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी है, बीच-बीच में खुले घास के मैदान एवं जंगली क्षेत्र हैं
- मेलानिस्टिक बाघ केवल ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में ही दर्ज किए गए हैं।

Source :TH